

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा/ऑडिट कमेटी/2025/

दिनांक :

ऑडिट कमेटी बैठक सम्बन्धी सूचना

राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की चतुर्थ बैठक शीघ्र ही शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में निदेशालय में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। अतः कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारी सूचना/अभिलेख तीन दिवस में (गुरुवार तक) निर्धारित प्रारूप भिजवाने का श्रम करें ताकि बैठक पूर्व सूचनाओं का संकलन किया जा सके।

क्रम सं०	बैठक के विचारणीय बिन्दु
1	गत बैठक दिनांक 18.12.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।
2	महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की 31.01.2025 तक की स्थिति।
3	तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैराज की स्थिति।
4	भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों के पैराज की स्थिति।
5	जनलेखा समिति की सिफारिशों की स्थिति।
6	अंकेक्षण आपत्तियां (ओ.बी. आईटम्स)।
7	गबन/दुर्विनियोजन/चोरी के मामले।
8	निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, विशेष जांच प्रतिवेदन एवं विभागाध्यक्षों के आन्तरिक जांच प्रतिवेदन की अनुपालना स्थिति।
9	अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंकेक्षण से सम्बन्धित अन्य मामलें।

कृपया समस्त विभागाध्यक्ष राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक के लिए अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित एजेण्डा, एक्शन टेकन रिपोर्ट, सूचनाओं का मिलान प्रधान महालेखाकार कार्यालय से करा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 20.02.2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें, ताकि बैठक से पूर्व एजेण्डा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भिजवाया जा सकें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/ऑडिट कमेटी/2025/600

दिनांक : 17.2.25

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कर निवेदन है कि कृपया बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें :-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज., जयपुर।
- 2 प्रधान महालेखाकार, (जी.एस.एस.ए.), राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
- 4 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, लि० जयपुर।
- 5 निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
- 6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, स्टेशन रोड़, जयपुर।
- 7 वरिष्ठ उप महालेखाकार (जी.एस.एस.ए.-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ऑडिट) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 9 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
- 10 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
- 11 निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, ए. ब्लॉक, चतुर्थ तल, आर.सी.दवे. मार्ग, राज., जयपुर।
- 12 निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
- 13 निदेशक (प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
- 14 परियोजना निदेशक (एड्स कन्ट्रोल सोसायटी), मुख्यालय।
- 15 निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, राजस्थान, जयपुर।
- 16 निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर।
- 17 औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रक संगठन, राजस्थान जयपुर।
- 18 अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर।
- 19 अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर।
- 20 निदेशक (वित्त), एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
- 21 संयुक्त निदेशक (योजना) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, मुख्यालय।
- 22 प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ईमेल करावे।
- 23 रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर